

झारखण्ड लोक सेवा आयोग
सर्कुलर रोड, राँची-834001

साक्षात्कार कार्यक्रम

राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में पदाधिकारियों (गैर शैक्षणिक) यथा कुलसचिव, वित्त पदाधिकारी एवं परीक्षा नियंत्रक के पद पर नियुक्ति हेतु आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या-38/2016 के साक्षात्कार का विस्तृत कार्यक्रम एवं निदेश :-

पद का नाम	दिन एवं दिनांक	प्रथम पाली	द्वितीय पाली
		(समय: 10:30 बजे पूर्वाह्न से)	(समय 2:30 बजे अपराह्न से)
		उम्मीदवारों का पंजीयन संख्या	उम्मीदवारों का पंजीयन संख्या
कुलसचिव	08.06.2017 (वृहस्पतिवार)	16010002, 16010003, 16010007, 16010008, 16010012, 16010014, 16010017, 16010020, 16010023	16010024, 16010027, 16010028, 16010029, 16010030, 16010031, 16010033, 16010034, 16010035
परीक्षा नियंत्रक	09.06.2017 (शुक्रवार)	16030001, 16030003, 16030004, 16030005, 16030007, 16030008, 16030009, 16030010, 16030011	16030012, 16030015, 16030017, 16030020, 16030021, 16030023, 16030027, 16030030, 16030032
वित्त पदाधिकारी	10.06.2017 (शनिवार)	16020004, 16020005, 16020007, 16020012, 16020014, 16020015	16020018, 16020021, 16020022, 16020028, 16020030

2. उपर्युक्त उम्मीदवारों के साक्षात्कार पत्र दिनांक-03.06.2017 से आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध रहेंगे जिसे अपना पंजीयन संख्या एवं जन्म तिथि डालकर डाउनलोड किया जा सकता है। साक्षात्कार पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जायेगा।
3. साक्षात्कार के दिन उम्मीदवारों को मूल विज्ञापन एवं साक्षात्कार पत्र में उल्लिखित अपनी योग्यता सम्बन्धी निम्नांकित आवश्यक मूल (Original) प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :-
 - (i) जन्म तिथि के साक्ष्य हेतु मैट्रिक उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र।
 - (ii) मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र।
 - (iii) इंटरमीडिएट का अंक पत्र।
 - (iv) इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र।
 - (v) स्नातक का अंक पत्र।
 - (vi) स्नातक का डिग्री का प्रमाण पत्र।
 - (vii) स्नातकोत्तर का अंक पत्र।
 - (viii) स्नातकोत्तर की डिग्री का प्रमाण पत्र।
 - (ix) एम०बी०ए०/चार्टर्ड एकाउंटेंट/आई०सी०डब्लू०ए० संबंधी प्रमाण पत्र। (जहां लागू हो)
 - (x) वैसे उम्मीदवार, जिनके प्रमाण पत्र/अंक पत्र में अंक की जगह ग्रेड अंकित है एवं यदि प्रमाण पत्र/अंक पत्र में ग्रेडिंग को प्रतिशत में परिवर्तित करने हेतु नियम का उल्लेख न हो उन्हें अपने

विश्वविद्यालय/संस्था से उक्त ग्रेडिंग को प्रतिशत में परिवर्तित करने हेतु विश्वविद्यालय/संस्था द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रति।

- (xi) उम्मीदवार द्वारा आवेदन में उल्लिखित अनुभव के संबंध में अभिलेख।
 - (xii) कार्यरत संस्था/विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।
 - (xiii) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र। (यदि लागू हो)
 - (xiv) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र। (यदि लागू हो)
 - (xv) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निःशक्तता संबंधी प्रमाण पत्र। (यदि लागू हो)
 - (xvi) मूल पहचान पत्र (फोटोयुक्त)।
4. साथ ही इन सभी मूल प्रमाण-पत्रों एवं अंक पत्रों की छायाप्रति दो सेट में उम्मीदवारों द्वारा स्वअभिप्रमाणित कर जमा करना अनिवार्य होगा। योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन पत्र में किया है। योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र के निर्गत होने की तिथि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि (02.12.2016 तक) के पूर्व का ही होना आवश्यक है।
 5. जाति/कोटि तथा शारीरिक विकलांगता के स्तर पर रियायत प्राप्त करने के समर्थन में यदि उम्मीदवार अपने साक्षात्कार के दिन मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं तो इसके लिए कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों की अर्हता के संबंध में यथासमय समुचित निर्णय लेने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा।
 6. सभी उम्मीदवार अपने साक्षात्कार के दिन साक्षात्कार पत्र के अलावे अपना एक फोटोयुक्त पहचान पत्र यथा मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड/पैन कार्ड/ड्राईविंग लाइसेंस इत्यादि स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति अपने साथ अनिवार्य रूप से लाना सुनिश्चित करेंगे।
 7. साक्षात्कार के लिए बुलाए जा रहे आवेदकों की अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है। साक्षात्कार में शामिल होने से उनकी अर्हता सम्पुष्ट नहीं होती है। साक्षात्कार के समय या उसके बाद उनकी अर्हता पर यथासम्भव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
 8. संबंधित उम्मीदवार उक्त साक्षात्कार कार्यक्रमानुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को साक्षात्कार हेतु पूर्वाह्न 09:00 बजे उपस्थित होंगे।

ह0/-

सचिव

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।